खबर नहीं, खबरों के पीछे की खबर

रेड रोज न्यूज़

दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी मासिक समाचार पत्र

स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगी

डॉ. ज्ञान पाठक

पिछली बार 1931 की जनगणना में जाति की गणना के लगभग एक सदी के अंतराल के बाद भारत में जाति जनगणना कराने की घोषणा करके,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल स्वतंत्र भारत के जाति जनगणना न कराने के ऐतिहासिक निर्णय, जो मुख्यतरू इस डर से की गयी थी कि इस तरह की कवायद जाति व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, को समाप्त कर दिया है, बल्कि जाति जनगणना कराने के खिलाफ भाजपा की ऐतिहासिक स्थिति को भी पलट दिया है। यह निर्णय भारत की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसका जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना तय है–विशेष रूप से राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक आचरण पर। भारत की जाति व्यवस्था में पिछली सदी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जो हुआ, वह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद की स्थिति से बहुत अलग था। भारत के संविधान ने पहली बार समाज में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रह के शिकार लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया। ब्रिटिश राज के दौरान की गयी जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाली पायी गयी थी और इसलिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर सहित भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों ने इस प्रथा की कड़ी आलोचना की। इसके अलावा, जातियों का रिकॉर्ड दोषपूर्ण पाया गया। 1901 की जनगणना में 1646 अलग–अलग जातियों को दर्ज किया गया था, जो 1931 में बढ़कर 4147 हो गया। इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नेताओं के दबाव में, ब्रिटिश सरकार ने

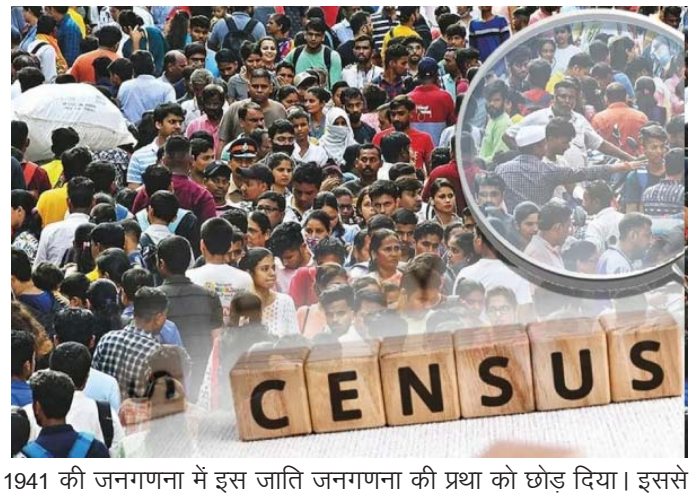

1941 की जनगणना में इस जाति जनगणना की प्रथा को छोड़ दिया। इससे हमें संकेत मिलता है कि इस बार की जाति जनगणना में भी कई समस्याएं होंगी। जाति व्यवस्था न केवल हिंदुओं में, बल्कि अन्य धार्मिक समूहों में भी प्रचलित है। इससे जनगणना के दौरान समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बौद्ध, जैन और सिख भी व्यवहार में जातियों में विभाजित हैं। ईसाइयों में लगभग 300 जातियां दर्ज हैं और मुसलमानों में 500 जातियां व्यवहार में हैं, हालांकि उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण यह है कि उनके बीच कोई जाति विभाजन नहीं है। सभी धर्मों में दलित, आदिवासी और ओबीसी हैं।